भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 202A/2017-18

रतन लाल टुडू **बनाम** सुमित्रा मुन्डा

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-06-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 446 दिनांक 14.05.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 202 A/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रतन लाल टुडू, पिता चमरु टुडू, ग्राम-गमदेसाई, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावॉं ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सुमित्रा मुन्डा, पति-श्री लखीन्द्र मुन्डा, ग्राम-बड़ागिधी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावॉं को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	**थाना न0**	**खाता न0**	**खेसरा न0**	**रकवा**
गमदेसाई	154	43	312	8.4डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता स्वयं खतियानी रैयत एवं जमाबंदी रैयत है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 8.4डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.45 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'संथाल' एवं 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 8.4डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner